6

0135-271392

संख्या–1200/पांच–6–2004–294/98, टी0सी0

प्रेषक,

श्री प्रीतम सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–6 लखनऊ: दिनांक–09 अगस्त 2004

विषय– उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1135/5–6–2001–294/98, दिनांक–27.08.2001 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सेवारत एवं सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की प्रदेश के भीतर एवं प्रदेश के बाहर कराये गये चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे दावों के त्वरित निस्तारण में अनुभव की जा रही व्यवहारिक कठिनाइयों तथा चिकित्सा उपचार पैथालाजिकल टेस्ट एवं दवाओं के मूल्यों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने तथा कार्यालयाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं शासन के प्रशासनिक विभागों को किये गये प्रतिनिधायन की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

2– अतएव राज्यपाल महोदय प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षरण तथा स्वीकृति हेतु शासनादेश दिनांक–27.08.2001 द्वारा की गयी व्यवस्था को संशोधित करते हुए निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं:–

क0सं0	प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1	2	3	4
(क)	प्रदेश के अन्दर एवं बाहर		
1–	रू0–40,000.00तक	राजकीय चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक जहाँ उपचार किया गया हो अथवा जहाँ से सन्दर्भित किया गया हो।	कार्यालयाध्यक्ष

2–	रू0–40,000.00 अधिक किन्तु रू0–1,00,000.00तक	उपचार कराने वाले अथवा सन्दर्भित करने वाले राजकीय चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक	विभागाध्यक्ष
3–	रू0–1,00,000.00 से अधिक किन्तु रू0–2,00,000.00तक	मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं है वहाँ संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	शासन के प्रशासकीय विभाग।
(ख)	प्रदेश के अन्दर एवं बाहर		
	रू0–2,00,000.00 से अधिक	मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं है, वहाँ संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से।

3– चिकित्सा अग्रिम

सरकारी सेवक के उपचार हेतु उसके लिखित आवेदन पर देश के अन्दर चिकित्सा विभाग द्वारा विशिष्ट उपचार के लिए चिन्हित/ सन्दर्भित चिकित्सालय/ संस्थान के प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ प्रभारी प्रशासक द्वारा दिये गये व्यय प्राक्कलन के आधार पर उपरोक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित स्वीकर्ता अधिकारी–कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष तथा शासन के प्रशासकीय विभाग जिस सीमा तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सक्षम है, उसके 75 प्रतिशत तक चिकित्सा अग्रिम स्वीकृति करने के लिए भी अधिकृत होंगे। रूपया–2,00,000.00 से अधिक के चिकित्सा अग्रिम के मामले में प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी होगी।

चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन आवश्यक होगा–

(क) अग्रिम स्वीकृति होने की तिथि से तीन माह के अन्दर अथवा निरन्तर उपचार चलते रहने की दशा में उपचार समाप्ति के तीन माह के अन्दर जो भी पहले हो, उसके समायोजन हेतु प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) अग्रिम का समय से समायोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के कार्यालय में ऐसे अग्रिमों का एक रजिस्टर सेवारत कर्मचारियों/

(4)

अधिकारियों के लिए रखा जायेगा जिसकी जांच प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा की जायेगी। निर्धारित समय के अन्दर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे के प्रस्तुत न किये जाने पर अग्रिम की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से एकमुश्त कर ली जायेगी और एकमुश्त वसूली सम्भव न होने पर उसे मासिक किश्तों पर वसूल किया जायेगा।

(ग) जब तक एक अग्रिम का समायोजन नहीं हो जाता है तब तक दूसरा अग्रिम किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(घ) अग्रिम के बिल पर आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना आवश्यक होगा कि स्वीकृत अग्रिम की प्रविष्टि अग्रिम के निर्धारित रजिस्टर में कर ली गयी है।

4- सेवा निवृत्त सरकारी सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेन्शन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को अथवा उस कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेगें, जहाँ से वह सेवा निवृत्त हुए हों।

5- इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रितों सदस्यों तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेन्शन हेतु अर्ह सदस्यो की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों का तकनीकी परीक्षण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल वह मण्डल माना जायेगा, जहाँ से ऐसे सेवा निवृत्त कर्मचारी/ अधिकारी की पेन्शन आहरित की जाती है। प्रदेश के बाहर पेन्शन आहरित करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनका मण्डल वहीं माना जायेगा जिस मण्डल से कर्मचारी/ अधिकारी सेवा निवृत्त हुआ हो।

6- उपर्युक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्राप्त होने के पश्चात विलम्बतम एक माह के भीतर तकनीकी परीक्षण कराकर इसे प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त सेवा निवृत्त सरकारी सेवक के कार्यालयाध्यक्ष को वापस किया जाना सुनिश्चित करेगे जो सम्बन्धित स्वीकर्ता अधिकारी से स्वीकृति आदेश प्राप्त करेगें।

X. (3)

1— उत्तर प्रदेश शासन की सेवा से सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारी जो स्थाई रूप से दिल्ली में निवास कर रहें है, के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे उनके विभागाध्यक्ष द्वारा तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक मेरठ मण्डल मेरठ को प्रेषित किये जायेगें।

8— चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत किये जाने से पूर्व निम्नलिखित चेक लिस्ट के अनुसार औपचारिकताएं पूर्ण होना अनिवार्य होगा।

चेक लिस्ट

1— समस्त /बिल वाउचर की मूल प्रतिलिपि संलग्न है।

2— समस्त बिल/ वाउचर चिकित्सक द्वारा सत्यापित है।

3— अनिवार्यता प्रमाण पत्र संलग्न है।

4— अनिवार्यता प्रमाण में रोग का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित है तथा व्यय विवरण संलग्न है।

5— अनिवार्यता प्रमाण पत्र में उल्लिखित उपचार अवधि के भीतर के तिथियों के ही बिल वाउचर का ही भुगतान किया जाये।

6— अनिवार्यता प्रमाण पत्र उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।

7— प्रदेश के भीतर विशिष्ट चिकित्सा संस्थान तथा संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में उपचार कराने हेतु सेवारत कर्मचारियों/ अधिकारियों के प्रकरण में प्राधिकृत चिकित्सक का सन्दर्भ तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों/ अधिकारियों के प्रकरण में मण्डलीय चिकित्सा परिषद/ राज्य चिकित्सा परिषद का सन्दर्भ/ कार्योत्तर संस्तुति संलग्न है।

8— प्रदेश के बाहर अन्य राज्य के चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने पर शासकीय अनुमति/ कार्योत्तर अनुमति संलग्न है।

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों की स्वीकृति उसी दशा में प्रदान की जाय जब इस हेतु समस्त शर्तों/ औपचारिकताओं की पूर्ति हो चुकी हो, यदि किन्ही मामलों में अपवाद अथवा कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी हो तो उन्हें पूर्ण व्यवस्था के अनुसार

शासन को सन्दर्भित किया जाय।

सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1135/5-6-2001-204/98, दिनांक-27.03.2001 एवं शासनादेश संख्या 2770/5-7-97, दिनांक-29.07.1997, इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

10- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

11- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-जी(2)1323/दस-2001, दिनांक-17.03.2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रीतम सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1200(1)/पांच-6-2001-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- महानिदेशक, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ अधीक्षिका, जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(शम्भु नाथ)
अनु सचिव।